



## (क्षेत्रीय कार्यालय)

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बालोतरा  
 जसोल फांटा, जसोल रोड, बालोतरा, जिला बालोतरा  
 वेबसाइट: [www.environment.rajasthan.gov.in](http://www.environment.rajasthan.gov.in)  
 ई-मेल: [ro.balotara@gmail.com](mailto:ro.balotara@gmail.com)



राप्रनिम / क्षे.का. / बालोतरा / जनसुनवाई-30 / २७०७-१०

दिनांक: ०५/०२/२०२४

मैसर्स श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री पदमसिंह,  
 निकट ग्राम मारुडी, तहसील व जिला बाड़मेर।

विषय:- मैसर्स श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री पदमसिंह, प्लॉट नम्बर 24, खसरा नम्बर 399/299, क्षेत्रफल 1.0 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 79,500 टी.पी.ए. (रोम), निकट ग्राम-दारूडा, तहसील व जिला-बाड़मेर में प्रस्तावित है, के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई बाबत्।

प्रसंग:- जिला कलेक्टर बाड़मेर पत्रांक 835 दिनांक 02.02.2024.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपकी इकाई की पर्यावरणीय स्वीकृति की जनसुनवाई से सम्बंधित विज्ञापन इस पत्र के साथ संलग्न है, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर (सभी संस्करण) तथा एक दैनिक क्षेत्रीय स्तर (हिन्दी संस्करण) में दिनांक 12.02.2024 तक प्रकाशित करावें तथा सभी अखबारों की प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करावे ताकि लोक सुनवाई का आयोजन दिनांक 14.03.2024 को प्राप्त 11:00 बजे से "पंचायत ऑफिस दारूडा" ग्राम दारूडा तहसील व जिला बाड़मेर में करवाया जा सके।

साथ ही आपसे निवेदन है कि विज्ञापन में वर्णित सभी कार्यालयों में ई.आई.ए. रिपोर्ट्स तथा कार्यकारी सार की हिन्दी व अंग्रेजी प्रतियां जमा करवायें तथा प्रमाण के साथ इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय,

+ क्षेत्रीय अधिकारी OLC

प्रतिलिपि :-

- सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को सादर सूचनार्थ।
- जिला कलक्टर, बाड़मेर को सादर सूचनार्थ।
- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अवलोकनार्थ उपलब्ध करवाने हेतु प्रेषित।

+ क्षेत्रीय अधिकारी OLC



## पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री पदमसिंह, प्लॉट नम्बर 24, खसरा नम्बर 399/299, क्षेत्रफल 1.0 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 79,500 टी.पी.ए. (रोम), निकट ग्राम—दारूड़ा, तहसील व जिला—बाड़मेर, में “मैसेनरी स्टोन खनन परियोजना” के लिए खनन की पर्यावरण स्वीकृति बाबत प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये हैं।
- और चूंकि मैसर्स श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री पदमसिंह को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है।
- और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
- आर चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
- उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है:—
  - जिला कलक्टर कार्यालय, बाड़मेर।
  - जिला परिषद कार्यालय, बाड़मेर।
  - जिला उद्योग केन्द्र, बाड़मेर।
  - उपखण्ड कार्यालय, बाड़मेर।
  - तहसील कार्यालय, बाड़मेर।
  - ग्राम पंचायत कार्यालय, दारूड़ा, जिला—बाड़मेर।
  - क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बालोतरा।
  - पर्यावरण विभाग, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर, राजस्थान।
  - राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4, पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना ढूंगरी, जयपुर, राजस्थान।
  - एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऐ-209 व 218, अरण्य भवन, महात्मा गाँधी रोड, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।

6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 14.03.2024 को प्राप्त 11:00 बजे पंचायत ऑफिस दारूड़ा, ग्राम दारूड़ा, तहसील व जिला बाड़मेर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, बालोतरा में दिये जा सकते हैं।

*[Signature]*  
 f क्षेत्रीय अधिकारी  
 O/C